

20/4/24

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण  
 न्यायिक कार्य सम्बन्धित एका / P.O. २  
 सीटिंग / बाहर / अदालत में। पत्रावली  
 वास्तु ~~20/4/24~~ दिनांक 22/4/24  
 को पेश हो।

22/4/24

पत्रा. पेश । पत्राकारान्त की बद्धस  
 सुनी गई।

बादी द्वारा धारा 188 RT Act के  
 तहत बाद पेश किया गया है।  
 बादी का कथन है कि प्रतिवादी  
 1 उनकी आराजी से शस्ता  
 कायम कर रहे हैं।

प्रतिवादी की तरफ से कोई  
 जवाब पेश नहीं किया गया है।

मौका रिपोर्ट दिनांक 19/01/2022  
 में यह स्पष्ट होता है कि

बादी एवं प्रतिवादी खसरा न.  
 499 में मु. खाल से होकर

गुजराते थे जिसपर पंचायत  
 द्वारा एन्क्रिप्ट बनाया गया था।

प्रतिवादी वर्तमान में कच्ची  
 जड़स गडार से जाता है

जो खसरा 927, 928, 942  
 से होकर गुजराती है। बादी की

खसरा न. 796, 795, एवं 790

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
----------------	------------------------------------

पर इसकी चौड़ाई कम है।  
 प्रतिवादी इससे चौड़ा करवाना  
 चाहता है।

राजस्व नियमों के अनुसार  
 प्रतिवादी को यदि किसी अन्य  
 बालेदार की माराजी से रास्ता  
 चाहिए तो उसे धारा 251-A  
 27 Act के तहत वाद दायर  
 करना होगा। जबरदस्ती प्रतिवादी  
 किसी अन्य की माराजी से  
 रास्ता कायम नहीं कर सकता।

अतः वाद वादी स्वीकार किया  
 जाता है। प्रतिवादी के विरुद्ध  
 स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जाती  
 है कि वह वादी के स्वामित्व  
 की माराजी प्रसरा न. 796,  
 795 व 790 में किसी भी  
 प्रकार का रास्ता कायम न  
 करे व वादी को उसकी माराजी  
 पर कायम करने से बाधा न  
 उपपन्न करे।

निर्णय आज दिनांक 27/4/26 को  
 सुनाया गया।

पत्रावली नंबर 2002/26  
 दायित्व 4/26 है।



One